न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेटपरिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

मिसल नम्बर–38 / 2024

जीसीएमएस नं0– 2024 / 132

1.घनश्याम आयु 55 वर्ष

2.हेमराज आयु 49 वर्ष पिसरान दोलू उर्फ चोथमल जी जाति काली निवासी मालियो का मोहल्ला बड के पेड के पास सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

1.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

अप्रार्थी।

–:निर्णय:–

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 90, 91 के तहत् वाद पत्र।)

दिनांक 19/5/25

उपस्थितिः–

1.वादी अभीभाषक श्री वैभव शर्मा

2.सरकार पैरोकार।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 90, 91 के तहत् वाद–पत्र वादी द्वारा प्रस्तुत हुआ। वाद–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ग्राम सोगरिया तह0 लाडपुरा जिला कोटा राज0 के निवासी है तथा काश्तकार व्यक्ति है। वादी के पिता दोलु उर्फ चौथमल पुत्र कजोड के खाते की आराजी ग्राम सोगरिया तह0 लाडपुरा जिला कोटा में पुराना खाता सं0 86 नया 92 में ख0नं0 71, 72, 73, 78, 80 की कुल 5 किता की कुल रकबा 0.86 है0 स्थित है। उक्त आराजी वादीगण के पिता कोदादा कजोड से प्राप्त हुई है। उक्त भूमि पेतृक सम्पत्ति है उक्त आराजी कजोड के मरने के बाद फौतीनामान्तरण जिसमें वादीगण के पिता का घर का नाम दोलू दर्ज कर दिया गया तथा उसी नामान्तरण के आधार पर उपरोक्त आराजा स्व0 दोलू जी के खाते में दर्ज की गई चुंकि वादीगण के पिता का नाम दोलू उर्फ चौथमल है। मेरे पक्षकार के पिता नाम अन्य समस्त दस्तावेजात आदि में चौथमल अंकित है तथा वादीगण के समस्त दस्तावेजात भी वादीगण के पिता का नाम चौथमल दर्ज है। अतः प्रार्थना है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय का निर्णय एवं डिक्री सादिर फरमाई जावे कि हाल जमाबन्दी ग्राम सांगेरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा आराजी ग्राम सोगरिया तह0 लाडपुरा जिला कोटा में पुराना खाता सं0 86 नया 92 में ख0नं0 71, 72, 73, 78, 80 की कुल 5 किता की कुल रकबा 0.86 है0 स्थित हैं में वादीगण के पिता का नाम दोलू के स्थान

पर चौथमल दर्ज किये जानेका निर्णय एवं डिक्री सादर फरमाई जावे, खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे, अन्य जो न्यायोचित सहायता हो वह भी प्रदान की जावे।

वाद–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये।

वादी के वाद–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णित किया कि ग्राम सोगरिया में खाता सं0 92 में ख0नं0 71 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 72 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 73 रकबा 0.41 है0, ख0नं0 78 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 80 रकबा 0.04 है0 कुल किता 5 रकबा 0.86 है0 भूमि में घनश्याम पुत्र दोलू का हिस्सा 1/3 दर्ज है, घनश्याम के पिता दोलू के बारे में उपस्थित ग्राम वासियान ने बताया कि दोलू को चौथमल के नाम से भी जाना जाता था। अर्थात दोलू व चौथमल एक ही व्यक्ति है।

बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस वादी द्वारा अपने वाद–पत्र पत्र के कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों आधार कार्ड, पहचान पत्र की प्रति का अवलोकन किया गया। चूंकि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया है कि ग्राम सोगरिया में खाता सं0 92 में ख0नं0 71 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 72 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 73 रकबा 0.41 है0, ख0नं0 78 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 80 रकबा 0.04 है0 कुल किता 5 रकबा 0.86 है0 भूमि में घनश्याम पुत्र दोलू का हिस्सा 1/3 दर्ज है, घनश्याम के पिता दोलू के बारे में उपस्थित ग्राम वासियान ने बताया कि दोलू को चौथमल के नाम से भी जाना जाता था। अर्थात दोलू व चौथमल एक ही व्यक्ति है। अतः उपरोक्तानुसार वादी की ओर से प्रस्तुत वाद–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 90, 91 के तहत् वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम सोगरिया में खाता सं0 92 में ख0नं0 71 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 72 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 73 रकबा 0.41 है0, ख0नं0 78 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 80 रकबा 0.04 है0 कुल किता 5 रकबा 0.86 है0 में खातेदार का नाम घनश्याम पुत्र दोलू के स्थान पर घनश्याम पुत्र दोलू उर्फ चौथमल एवं हेमराज पुत्र दोलू के स्थान पर हेमराज पुत्र दोलू उर्फ चौथमल दर्ज किया जावे।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 19/5/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी